नकल आदेश दिनांक 20.11.2019

न्यायालय उपजिलाधिकारी, चायल कौशाम्बी।

कम्प्यूटर वाद संख्या–टी–20190242050 2896 सन् 2019
अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
मौजा–काजू परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।
मैनेजिंग ट्रस्टी सत्यनारायण मिश्रा बनाम ग्रामसभा

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी नारायण चैरिटेबुल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय 191के/17 राजरूपपुर तहसील सदर जिला प्रयागराज द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी सत्यनारायण मिश्रा पुत्र स्व0 दशरथलाल मिश्र निवासी 191के/17 राजरूपपुर तहसील सदर जिला प्रयागराज द्वारा ग्रामसभा को प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत इस कथन के साथ दाखिल किया है कि प्रार्थी मौजा काजू परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के खाता संख्या–721 के गाटा संख्या–246 रकबा 8.373 हे0 का जुज रकबा 1.370 हे0 व जुज रकबा 0.6090 हे0 कुल कयशुदा रकबा 1.9790 जरिये बैनामा कय किया। उक्त गाटा संख्या–246 रकबा 8.373 हे0 मे कुल कयशुदा रकबा 1.9790 हे0 यानि 19790 वर्गमीटर के सम्पूर्ण क्षेत्रफल मे बाउण्ड्रीवाल निर्मित कराकर गेट लगवाया तथा जिसमे तीन कमरे भी निर्मित है। उक्त भूमि पर अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन इत्यादि कृषि जनित कार्य नही हो रहा है। उक्त गाटा संख्या–246 रकबा 8.3730 हे0 मे कुल कयशुदा रकबा 1.9790 हे0 यानि 19790 वर्गमीटर भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करवाना चाहता है। अन्त मे प्रार्थना किया है कि मौजा काजू परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी के गाटा संख्या–246 रकबा 8.3730 हे0 मे कुल कयशुदा रकबा 1.9790 हे0 यानि 19790 वर्गमीटर को अकृषिक भूमि घोषित करने की कृपा करें।

नियमानुसार तहसीलदार चायल से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार चायल की आख्या दिनांक 15.10.2019 द्वारा अवगत कराया है कि मौजा काजू के खाता संख्या–721 की आराजी संख्या–246 रकबा 1.9790 हे0 पर चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। गेट लगाकर अन्दर तीन कमरे बने हुए हैं। कृषि कार्य नही होता है, उक्त भूमि को अकृषिक किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है। आवेदक द्वारा उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु नारायण चैरिटेबुल ट्रस्ट के नाम मु0 49,500/–रूपये चालान संख्या–88200/011/के0बी0 00037 दिनांक 11.11.2019 को जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार चायल की आख्या दिनांक 15.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा काजू परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के खाता संख्या–721 के आराजी संख्या–246 रकबा 1.9790 हे0 भूमि पर चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। गेट लगार अन्दर तीन कमरे बने हुए हैं। कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा काजू परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की खतौनी 1421 लगायत 1426 फ0 के खाता संख्या–721 के गाटा संख्या–246 रकबा 1.9790 हे0 भूमि पर अंकित वादी नारायण चैरिटेबुल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय 191के/17 राजरूपपुर तहसील सदर जिला प्रयागराज द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी सत्यनारायण मिश्रा पुत्र स्व0 दशरथलाल मिश्र निवासी 191के/17 राजरूपपुर तहसील सदर जिला प्रयागराज की भूमि अकृषिक घोषित की जाती है, तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाक: 20/11/19

उपजिलाधिकारी,
चायल–कौशाम्बी।

न्यायालय उप जिलाधिकारी चायल–कौशाम्बी